निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 कार्तिक 1948 (श0)

(सं0 पटना 1342) पटना, शुक्रवार, 30 अक्तूबर 2026

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

30 अक्तूबर 2026

अधिसूचना संख्या– 09/2026–राज्य कर (दर)

एस० ओ० 233, दिनांक 30 अक्तूबर 2026— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम– 12, 2017) की धारा 9 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है,, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या–17/2017– राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 560, दिनांक 29 जून, 2017, द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्::–

उक्त अधिसूचना में खंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा –

"(v) डाक तथा कूरियर सेवाओं को छोड़कर अन्य डिलीवरी सेवाएँ, सिवाय वहां जहाँ इलेक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की आपूर्त्ति करने वाला व्यक्ति बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उप–धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है।''.

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी।

[(सं०सं०– बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–22) 09)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

30 अक्तूबर 2026

एस० ओ० 233, दिनांक 30 अक्तूबर 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०– बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017 (खंड–22) 09)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

———

The 30th October 2026

Notification No 09/2026- State Tax (Rate)

S.O. 233, Dated 30th October 2026— In exercise of the powers conferred by sub-sections (5) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Commercial Tax Department notification No. 17/2017- State Tax (Rate) dated 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette Extraordinary, vide No. 560 dated 29.06.2017, namely:—

In the said notification, for clause (v), the following clause shall be substituted, namely: –

> "(v) Delivery services, other than postal and courier services, except where the person supplying such services through electronic commerce operator is liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017.".

2. This notification shall come into force with effect from 1st day of November, 2026

[(File No Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-22) 09)]
By the order of Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR SINGH,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1342-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in